

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई 2020 — आषाढ 11, शक 1942

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक/4219/एफ-16-01/पौ.सं./2012/14-2.— कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का सं. 46) की धारा 20 उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कृषि विभाग की अधिसूचना क. 54/कृषि पौ.सं./2001/14-2 दिनांक 17-04-2001 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, —

(1) समस्त सहायक संचालक कृषि, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी, जो कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 26 के अधीन निम्नलिखित विहित अर्हता रखते हों, को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, कीटनाशी निरीक्षक के रूप नियुक्त करती है: —

(क) कृषि में स्नातक अथवा एक विषय रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में स्नातक;

(ख) कार्यक्षेत्र का पर्याप्त अनुभव।

(2) यह निर्देश देती है कि प्रत्येक कीटनाशी निरीक्षक, संचालक कृषि, संयुक्त संचालक कृषि, तथा उप संचालक कृषि के अधीनस्थ होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 30th June 2020

NOTIFICATION

No.4219/F-16-01/ PP/ 2012/ 14-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 20 of the Insecticides Act, 1968 (No. 46 of 1968) and in supersession of Agriculture Department notification No. 54/Agri./2001/14-2, dated 17-04-2001, the State Govt. hereby,-

(1) appoints all Assistant Director Agriculture, Sub-Divisional Agriculture Officer, Senior Agriculture Development Officer and Agriculture Development Officer as Insecticide Inspector within their jurisdiction, those who possesses the following prescribed qualification under rules 26 of the Insecticide Rules 1971 :-

- (a) A graduate in Agriculture, or graduate in Science with Chemistry as one of the subjects;
 - (b) Adequate field experience.
- (2) directs that every Insecticide Inspector shall be sub-ordinate to Director of Agriculture, Joint Director of Agriculture and Deputy Director of Agriculture.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.C.PAIKRA, Joint Secretary.